सन्दर्भ : छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965

आचरण से मनुष्य की पहचान होती है। सरकारी कर्मचारी के लिये तो उसका और भी महत्व है। इसीलिए सरकारी पद पर काम करने वाले व्यक्ति से उसके काम के परिवेश के अलावा समाज में भी दूसरों की बनिस्बत भिन्न और बेहतर आचरण की अपेक्षा की जाती है, ताकि उसके साथ-साथ शासन की छवि धूमिल न हो। सरकारी कर्मचारी अनुशासन में रहें इसीलिए उनके पालनार्थ आचरण नियम बनाये गये हैं तथा उल्लंघन करते पाये जाने की दशा में उचित दण्ड देने का भी प्रावधान रखा गया है।

1. ये आचरण नियम किन्हें लागू

(1) छत्तीसगढ़ राज्य के कार्यों के संबंध में सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को;

(2) कार्यभारित तथा आकस्मिक व्यय से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को;

(3) स्वायत्त संस्थाओं में भी आचरण नियम लागू करने के निर्देश हैं।

2. ये आचरण नियम किन्हें लागू नहीं

(1) अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को;

(2) जिनके संबंध में राज्यपाल सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अन्यथा निर्णय लें।

[नियम 1 (3)]

3. शासकीय सेवकों से अपेक्षा

(1) प्रत्येक शासकीय सेवक सदैव ही

(क) पूर्ण रूप से संनिष्ठ रहे;

(ख) कर्तव्यपरायण रहे; और

(ग) ऐसा कोई कार्य नहीं करे जो कि उसके लिए अशोभनीय हो। [नियम 3]

(घ) अपने पदीय कृत्यों के पालन में अशिष्टता से कार्य नहीं करे;

(ङ) जनता के साथ अपने पदीय संव्यवहार में या अन्यथा विलंबकारी कार्यनीति नहीं अपनाये, और उसे सौंपे गये कार्य को निपटाने में जानबूझकर विलंब नहीं करे;

(च) ऐसा कुछ नहीं करे जो अनुशासनहीनता का द्योतक हो;

(छ) उसे आवंटित शासकीय आवास को वह किराये पर या पट्टे पर नहीं दे अथवा किसी व्यक्ति को अभिलाभ के लिए अधिभोग या उपभोग की अन्यथा इजाजत नहीं दे।

[नियम 3 (क)]

Scanned by TapScanner

(2) समस्त समयों पर शासन की नीतियों का पालन करे

(क) विवाह की आयु का, पर्यावरण के संरक्षण का, वन्य जीव की सुरक्षा का और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण से संबंधित शासन की नीतियों के अनुसार कार्य करेगा;

(ख) महिलाओं के विरुद्ध अपराध के निवारण से संबंधित शासन की नीतियों का पालन करेगा।

[नियम 3 (ख)]

(ग) प्रत्येक सरकारी सेवक भारत सरकार या राज्य सरकार की परिवार कल्याण से संबंधित नीतियों का पालन करेगा।

स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजन के लिये शासकीय सेवक के दो से अधिक बच्चे होने को अवचार (misconduct) माना जावेगा, यदि उनमें से एक का जन्म 26-1-2001 को या उसके बाद हुआ हो।

[नियम 22 का उपनियम (3) तथा (4)]

(3) कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर निषेध

(i) कोई भी कर्मचारी किसी महिला के कार्यस्थल पर उसके यौन उत्पीड़न के किसी भी कार्य में संलिप्त नहीं होगा।

(ii) प्रत्येक कर्मचारी जो किसी कार्यस्थल का प्रभारी हो, उस कार्यस्थल पर किसी भी महिला के यौन उत्पीड़न को रोकने के उपयुक्त कदम उठायेगा।

यौन उत्पीड़न में निम्नलिखित अशिष्ट, कामुक क्रियाकलाप शामिल हैं-

(क) शारीरिक सम्पर्क तथा कामासक्त व्यवहार,

(ख) यौन सहमति की मांग या निवेदन,

(ग) कामासक्त फब्ती,

(घ) अश्लील साहित्य दिखाना,

(ङ) कामासक्त प्रकृति का कोई भी अन्य अशिष्ट शारीरिक, शाब्दिक या सांकेतिक आचरण।

[नियम 22 का उपनियम (3)]

(iii) **महिलाओं के विरुद्ध शिकायतों की जांच-** जहां यौन उत्पीड़न की शिकायत प्राप्त हो, वहां प्रत्येक विभाग अथवा कार्यालय में ऐसी शिकायतों की जांच करने के लिये गठित की गई शिकायत समिति को, ऐसे नियमों के प्रयोजन के लिये अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया समझा जायेगा और यदि, यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच करने के लिये शिकायत समिति के लिए कोई पृथक् प्रक्रिया विहित नहीं की गई है तो शिकायत समिति, जहां तक साध्य हो, इन नियमों में अधिकथित की गई प्रक्रिया के अनुसार जांच करेगी।

(4) राजनीति तथा निर्वाचनों में भाग लेना

(1) कोई भी शासकीय सेवक किसी राजनीतिक दल या किसी ऐसे संगठन जो राजनीति में भाग लेता हो, का सदस्य नहीं बनेगा और न उससे अन्यथा संबंध रखेगा।

(2) वह अपने परिवार के किसी भी सदस्य को किसी ऐसे आन्दोलन या कार्यकलाप में जो शासन के लिए विध्वंसकारी हो या जिसका आशय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विध्वंसकारी होने का हो, भाग लेने, उसकी सहायता के लिए चन्दा देने या किसी अन्य रीति से सहायता करने से रोकने का प्रयत्न करे। ऐसा करने पर असमर्थ होने पर शासन को इस आशय की रिपोर्ट करे।

(3) कोई भी सरकारी सेवक किसी विधान मंडल या स्थानीय प्राधिकरण के निर्वाचन में न तो मत याचना करेगा न अन्यथा हस्तक्षेप करेगा न उसके संबंध में अपने प्रभाव का उपयोग करेगा, किन्तु

Scanned by TapScanner

ऐसे निर्वाचन में मत दे सकेगा। [नियम 5]

(5) प्रदर्शन तथा हड़ताल में भाग लेना

कोई भी शासकीय सेवक स्वयं को किसी भी प्रदर्शन में नहीं लगायेगा या उसमें भाग नहीं लेगा। अपनी सेवा या किसी अन्य शासकीय सेवक की सेवा से संबंधित किसी मामले के संबंध में न तो किसी भी तरह की हड़ताल का सहारा लेगा और न किसी भी प्रकार से अभिप्रेरित करेगा ।[नियम 6]

(6) शासकीय सेवकों द्वारा अपने हित में शासकीय दस्तावेजों का उपयोग

किसी शासकीय सेवक द्वारा किसी न्यायालय या अधिकरण या किसी प्राधिकारी के समक्ष या अन्यथा अपने अभ्यावेदन में किसी पत्र अथवा अन्य शासकीय दस्तावेज या उसमें या किसी ऐसी फाईल की टिप्पणियों के उदाहरण देना जो उससे संबंधित नहीं है, जानकारी की अप्राधिकृत संसूचना की श्रेणी में आयेगा तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। [सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक सी-5-1/96/3/एक, दिनांक 27-3-2001]

(7) अवकाश पर प्रस्थान

कोई भी शासकीय सेवक चाहे आकस्मिक अवकाश ही क्यों न हो, उसके स्वीकृत हो जाने के पूर्व (आपात दशा को छोड़कर) अवकाश पर प्रस्थान नहीं करेगा। [नियम 7]

टिप्पणी- कर्तव्य से जानबूझकर गैर हाजिर रहना इस नियम का उल्लंघन माना जा सकता है, और जहां ऐसा सिद्ध हो जाय वहां उक्त अवधि "अकार्य-दिवस" (Dies-non) मानी जाएगी। साथ ही शासकीय सेवक का ऐसा कृत्य अनुशासनहीनता की श्रेणी में माना जावेगा तथा वह आनुशासिक कार्यवाही का भी भागी हो सकता है।

टीप- इस संबंध में विस्तृत निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक 62/1464/1 (3)/79, दिनांक 28-1-1980, क्रमांक सी-3-12/90/3/49, दिनांक 19-7-90, क्रमांक सी-1-6/36/92/3/1, दिनांक 5-9-92 तथा ज्ञाप क्रमांक सी-6-3/2000/3/एक, दिनांक 2-2-2000 देखें।

(8) शासन की आलोचना

कोई भी शासकीय सेवक किसी रेडियो प्रसारण, या अन्य मीडिया प्रसारण अपने नाम से या गुमनाम तौर पर कल्पित नाम से या अन्य किसी व्यक्ति के नाम से प्रकाशित किसी दस्तावेज में या समाचार-पत्र में दी गई किसी सूचना में या सार्वजनिक रूप से अभिव्यक्त किसी उद्‌गार में ऐसा कोई तथ्य या राज प्रकट नहीं करेगा, जिसका परिणाम केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की किसी प्रचलित या तात्कालिक नीति या कार्य की प्रतिकूल आलोचना करना हो। [नियम 10]

(9) चन्दा एकत्रित करना

शासन की या विहित प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना किसी भी प्रकार के उद्देश्य के लिए नगदी में या वस्तु के रूप में कोई भी शासकीय सेवक न तो अंशदान मांगेगा/न स्वीकार करेगा या एकत्रित किये जाने में स्वयं को अन्यथा संबद्ध करेगा। [नियम 13]

(10) मादक पेयों तथा औषधियों का सेवन

कोई भी शासकीय सेवक किसी सार्वजनिक स्थान में नशे की हालत में उपस्थित नहीं होगा, साथ ही किसी मादक पेय या औषधि का अभ्यासगत अति सेवन नहीं करेगा।

"सार्वजनिक स्थान" से आशयित है ऐसा कोई स्थान या परिसर (जिसमें कोई वाहन सम्मिलित है) जिसमें जनता प्रवेश के लिए अनुज्ञात है। [नियम 23]

Scanned by TapScanner

(11) अल्पायु बच्चों को रोजगार में लगाना

कोई भी शासकीय सेवक 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को रोजगार में नहीं लगायेगा।

(12) प्रेस तथा अन्य मीडिया से संबंध [नियम 23 (क)]

(1) कोई भी शासकीय सेवक शासन की पूर्व मंजूरी के बिना, किसी समाचार-पत्र या अन्य नियतकालिक प्रकाशन तथा अन्य कोई मीडिया का पूर्णतः या अंशतः न तो मालिक बनेगा या उसका संचालन करेगा, न उसके संपादन अथवा प्रबंध में भाग लेगा।

(2) कोई भी शासकीय सेवक शासन या विहित प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना या अपने कर्तव्यों का सद्भावनापूर्ण निर्वहन करने की स्थिति को छोड़कर, न तो कोई अन्य मीडिया प्रसारण में भाग लेगा और न किसी समाचार पत्र या पत्रिका में अपने स्वयं के नाम से, गुमनाम तौर पर, कल्पित नाम से लेख देगा या कोई पत्र लिखेगा :

परन्तु ऐसा ब्राडकास्ट या ऐसा लेख विशुद्ध साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक प्रकार का है, तो मंजूरी अपेक्षित नहीं होगी। [नियम 9]

(13) दहेज लेना या देना

कोई भी शासकीय सेवक दहेज न तो देगा या लेगा अथवा उसके देने या लेने के लिए किसी को प्रेरित करेगा अथवा यथास्थिति वधु या वर के माता-पिता या संरक्षक से दहेज या अन्यथा रूप से किसी दहेज की मांग करेगा।

टिप्पणी - "दहेज" का वही अर्थ होगा जो कि उसके लिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 में दिया गया है। [नियम 14 (क)]

(14) द्वि-विवाह

शासन की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना, कोई भी शासकीय सेवक, भले ही उसको लागू वैयक्तिक कानून उसको ऐसा करने की इजाजत देता हो, एक पत्नी के रहते दूसरा विवाह नहीं करेगा।

इसी प्रकार कोई भी महिला शासकीय सेविका, ऐसे किसी व्यक्ति से विवाह नहीं करेगी, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित है। [नियम 22]

4. कृत्य जिनके लिए पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं

(1) किसी विधान मंडल या स्थानीय प्राधिकरण के निर्वाचन में अपने मत का प्रयोग करने के लिए। [नियम 5]

(2) यदि प्रसारण (ब्राडकास्ट) या लेख/विशुद्ध साहित्यिक, कलात्मक, या वैज्ञानिक प्रकार का है तो कर सकेगा। [नियम 9]

(3) अपनी पदीय हैसियत में या उसे सौंपे गये कर्तव्यों के पालन में मीडिया के सामने आना। [नियम 10]

(4) शासन, संसद या राज्य विधान सभा द्वारा नियुक्त किये गये प्राधिकारी के समक्ष, या किसी न्यायिक जांच में अथवा शासन के अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा आदेशित किसी विभागीय जांच में साक्ष्य दिया जाना। [नियम 11]

(5) (क) किन्हीं भी सामाजिक या खैराती (चेरिटेबिल) प्रकृति के क्रिया-कलापों में भाग लेने; या

(ख) किसी भी साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक प्रकृति के यदा-कदा होने वाले क्रिया-कलापों में भाग लेने; या

Scanned by TapScanner